(147)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4077–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–11–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार गुलाना जिला शाजापुर, प्रकरण कमांक 01/अ–12/2012–13.

.....

1–प्रेमसिंह पिता स्व0श्री रामसिंह राजपूत

2–कमलाबाई विधवा स्व.श्री रामसिंह राजपूत

ग्राम चितावद तहसील गुलाना जिला शाजापुर

निवासी ग्राम बंधा तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

लक्ष्मीनारायण पिता श्री घासीराम पंवार

निवासी ग्राम पिपलोदा ई तहसील गुलाना

जिला शाजापुर म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 25/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार गुलाना जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार गुलाना जिला शाजापुर के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 886 रकबा 3.37, सर्वे कमांक 896 रकबा 0.

58, सर्वे कमांक 903 रकबा 1.42, सर्वे कमांक 1306 रकबा 0.12 एवं सर्वे कमांक 1310 रकबा 1.89 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–12/12–13 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 5–11–2012 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है और अनावेदक द्वारा षडयंत्रपूर्वक प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है जबकि वास्तव में भूमि गिरवी रखी गई थी । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आज दिनांक तक अनावेदक को नहीं सौंपा गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करने में तहसील न्यायालय द्वारा अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर किये गये नामान्तरण के संबंध में अपील विचाराधीन है । इस कारण भी प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन में न तो फील्डबुक तैयार की गई है और न ही मौके पर पंचनामा बनाया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है और उसपर राजस्व अभिलेखों में अनावेदक का नाम दर्ज है, अतः अनावेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया है जिसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार आवेदकगण को नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् सीमांकन कार्यवाही की जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, इसलिये तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन की सूचना आवेदकगण को जारी की गई है जिसे आवेदकगण द्वारा लेने से इंकार

किया गया है, ऐसी स्थिति में यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता है कि सीमांकन की कार्यवाही आवेदकगण की अनुपस्थिति में हुआ है । तहसीलदार द्वारा विधिवत् पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही निष्पादित की गई है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–11–2012 स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार गुलाना जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–11–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर